न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–395/2019
CIS No.-TS 395/2019

मुन्ना यादव...वादी

बनाम

ध्रुप यादव एवं अन्य...प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
17.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–03 ता 04 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.02.2025 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–03 ता 04 दिनांक 07.02.2024 को वाद में उपस्थित हुये है और अपना बयान तहरीरी दिनांक 22.08.2024 को दाखिल किये है। बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब होने के कारण श्रीमान् द्वारा दिनांक 10.07.2024 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नहीं किया गया है बल्कि परिस्थितिवश हो गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलंब माफ करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–03 ता 04 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–395/2019

CIS No.-TS 395/2019

मुन्ना यादव...वादी

बनाम

ध्रुप यादव एवं अन्य..प्रतिवादी

लगातार **17.04.2025**	निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–03 ता 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–03 ता 04 का आवेदन दिनांक 24.02.2025 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–03 ता 04 का बयान तहरीरी ग्रहण किया जाता है तथा आदेश दिनांक 10.07.2024 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 09.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	